

## प्रेसनोट दिनांक 11.09.2023

1. दिनांक 10.09.2023 को वादी उ0नि0 श्री श्याम सिंह थाना को0नगर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि शुभम गौड़ पुत्र स्व0 रमेश गौड़ नि0 दिल्ली दरवाजा थाना को0नगर अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। संबंध में थाना को0नगर में मु0अ0सं0 608/23 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 10.09.2023 को वादी उ0नि0 श्री रामचन्द्र मौर्या थाना गोसाईगंज अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि विकास वर्मा पुत्र तेजवर्मा नि0 हरिपुर थाना अकबरपुर अम्बेडकरनगर। गिर0 अभि0 द्वारा रास्ते में आने-जाने वाली स्कूली छात्राओं/महिलाओं पर भद्दी-भद्दी टिप्पणी करना संबंध में थाना गोसाईगंज में मु0अ0सं0 246/23 धारा 294 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 10.09.2023 को वादी उ0नि0 श्री अजीत कुमार तिवारी थाना महाराजगंज अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि राजन सिंह पुत्र बैजनाथ सिंह नि0 राजेपुर थाना महाराजगंज अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 13 ग्राम स्मैक नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना महाराजगंज में मु0अ0सं0 278/23 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 10.09.2023 को वादी उ0नि0 श्री अजय कुमार त्रिपाठी थाना हैदरगंज अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि रविकिशन निषाद पुत्र स्व0 रामगरीब नि0 केवटिहा थाना हैदरगंज अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। संबंध में थाना हैदरगंज में मु0अ0सं0 176/23 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 10.09.2023 को वादी उ0नि0 श्री चन्द्रभूषण सिंह यादव थाना हैदरगंज अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि रामनारायण पुत्र रामसागर नि0 बनकटवा थाना हैदरगंज अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना हैदरगंज में मु0अ0सं0 178/23 धारा 60(1) आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
6. दिनांक 10.09.2023 को वादी उ0नि0 श्री राहुल कुमार पाण्डेय थाना हैदरगंज अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि नन्दलाल पुत्र चुन्नीलाल नि0 कुबेरपुर थाना हैदरगंज अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना हैदरगंज में मु0अ0सं0 179/23 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।